उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 484 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2018 दिनांक: 23 जुलाई, 2018

प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम
पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल
मेरठ / लखनऊ / आगरा / वाराणसी
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं
केस्को—कानपुर।

विषय : डिस्काम स्तर पर केन्द्रीयकृत एच0वी0 आडिट सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त डिस्काम में एच0वी0 उपभोक्ताओं को टैरिफ के आधार पर सही बि निर्गत कर उपभोक्ता के संतुष्टीकरण को बढाने हेतु एवं डिस्काम के राजस्व क्षय को रोकने के लिए केन्द्रीयकृत एच0वी आडिट सेल का गठन किये जाना का निर्णय लिया गया है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होगें :—

1. समस्त 10किवा0 एवं अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को रीडिंग आधारित सही बिल निर्गत करना, नया संयोज बिना मीटरिंग के निर्गत न किया जाना एवं प्रथम बिल से ही एम0आर0आई0 आधारित बिल दिया जाना।।
2. इस सेल में 01 – अधीक्षण अभियन्ता, 01 – अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य कार्यों से भिज्ञ), 01 – लेखाधिकार (वाणिज्य कार्यों से भिज्ञ) एवं आवश्यकतानुसार डाटा ऑपरेटर की तैनाती की जाये।
3. डिस्काम में सेल की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार कंप्यूटर ऑपरेटर सहित, ऑनलाइन कनेक्टिविटी, फर्नीच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।
4. सेल द्वारा समस्त एचवी उपभोक्ताओं के ए0एम0आर0 को क्रियाशील बनाये रखने का मासिक अनुश्रवण किय जायेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 कराकर बिल भी सृजित कराया जायेगा चरणबद्ध तरीके से समस्त एचवी उपभोक्ताओं की बिलिंग शतप्रतिशत ए0एम0आर0 के माध्यम से सुनिश्चित क जायेगी।
5. इस सेल द्वारा 10किवा0 एवं अधिक भार वाले समस्त उपभोक्ताओं की एक्सेपशन रिपोर्ट मेसर्स इन्वेन्टिव, मेसर साई से प्राप्त कर रिपोर्ट पर प्रत्येक माह शतप्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें एवं कृतकार्यवाही से प्रबन्धन क अवगत करायेगें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त एजेन्सी एवं मेसर्स आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 से प्राप्त गम्भीर प्रवृत्ति के प्रकरणों की गोपनीय रेड सुनिश्चित करायेंगे।
6. इस सेल द्वारा ऐसे समस्त उपभोक्ताओं के मीटर गुणांक, डबल मीटरिंग, टैम्पर रिपोर्ट, लोड फैक्टर इत्यादि क उपरोक्त एजेन्सियों से विश्लेषण कराते हुए राजस्व क्षय को रोकना सुनिश्चित करेगे। अधिक खपत वाले ए सीजनल उपभोक्ताओं की डबल मीटरिंग सुनिश्चित करते हुए ऐसे समस्त उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग डाटा क मिलान सुनिश्चित करते हुए अन्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। जिसके लिए वार्षिक सी0टी0—पी0टी0 ऑडिट का नियोजन एवं कियान्वयन भी किया जाना है।
7. एकल अथवा मिश्रित एचवी उपभोक्ताओं वाले स्वतंत्र पोषकों का ऑडिट कर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
8. सेल के नामित अधिशासी अभियन्ता एवं लेखाधिकारी की टीम का दायित्व होगा कि बिलों का ऑनलाइन वितरण एवं भुगतान प्राप्त किये जाने का अनुश्रवण एवं एचवी बिलों का साथ—साथ (कान्करेन्ट) ऑडिट तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।
9. सेल द्वारा बिलिंग का सुनिश्चित शिड्यूल के आधार पर माह की 01 से 05 तारीख तक समस्त रीडिंग का कार्य पूर्ण करते हुए 07 तारीख तक बिल सृजन एवं ऑनलाइन वितरण सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भुगतान भी सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण किया जाये।
10. सेल के लिए आरम्भ के 02 वर्षों के लिए विषय से भिज्ञ अधिकारियों की तैनाती की जाये एवं इसके पश्चात् आगामी 02 वर्षों में डिस्काम स्तर पर क्षमता विकसित कर ली जाये। इसके लिए आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 सलाहकार (सारथी) का सहयोग लिया जाये।

11. सेल द्वारा संदिग्ध उपभोक्ता एवं अन्य कारणों से संभावित राजस्व क्षय के चिन्हित प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
12. सेल द्वारा गलत टैरिफ, कम स्वीकृत भार एवं त्रुटिपूर्ण अथवा कम निर्धारण वाले बिलों का कानकरेन्ट ऑडिट कर बिलों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराते हुये डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
13. सेल द्वारा एचवी उपभोक्ताओं से माह की 20 तारीख तक भुगतान प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम के ऐसे बकायेदारों की सूची डिस्काम प्रबन्धन को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।
14. सेल द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों अथवा राजस्व क्षय के बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जाना सुनिश्चित करते हुए ऐसे प्रकरणों से डिस्काम प्रबन्धन को अवगत कराते हुये निश्चित समयसीमा में कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. सेल द्वारा गोपनीय रेड की कार्यवाही हेतु उपलब्ध सूचना की गोपनीयता बनाये रखते हुए डिस्काम प्रबन्धन के माध्यम से रेड की कार्यवाही किसी और क्षेत्र की टीम के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
16. आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि द्वारा नामित अधिकारी एवं उदय सलाहकार द्वारा सेल का सहयोग एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

उपरोक्त सेल 01 अगस्त 2018 से सभी डिस्काम में क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Aparna. U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), उ0प्र0 पाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–2, उ0प्र0 पाकालि।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (ऑडिट सेल) उ0प्र0 पाकालि।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आरएपीडीआरपी पार्ट–ए एवं आई0टी0 सेल) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त ऑनलाइन अनुश्रवण, विश्लेषण एवं ऑडिट की सुविधा प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायें।
7. इंचार्ज एम0बी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रकोष्ठ के प्रभावी रूप से क्रियाशील बनाये जाने के लिए एवं आवश्यक रिर्पोटो का उदय सलाहकार के माध्यम से अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम एचवी ऑडिट प्रकोष्ठ मण्डल की रेटिंग सुनिश्चित करें।